कार्यान्वयन के तहत चल रही परियोजनाएँ

परियोजना	उद्देश्य और निष्कर्ष
जीआईज़ेड - भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु मृदा सुरक्षा और पुनर्वास **अवधि:** जून 2015 से दिसंबर 2024 तक **परिव्यय: €** 19.मिलियन 485 यूरो	इस कार्यक्रम का उद्देश्य मृदा संरक्षण के उपायों को प्रोत्साहित करना है, जिससे लगभग 153,000 हेक्टेयर भूमि में कृषि उत्पादकता बढ़े, जिसमे से 53,000 हेक्टेयर भूमि गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) द्वारा सहायताकृत लक्ष्यित क्षेत्र में शामिल है और 100,000 हेक्टेयर भूमि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में क्रियान्वित डिजिटल एड्वाइज़री प्लेटफार्म हेतु लक्ष्यित क्षेत्रों में शामिल है. इस कार्यक्रम की वैधता दिसंबर 2017 थी, जिसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है.
केएफ़डबल्यू - जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और निम्नीकृत मृदा के पुनर्वास के लिए वाटरशेड विकास का समन्वयन (एसईडबल्यूओएच-II) **अवधि**: दिसंबर 2018 से दिसंबर 2023 तक **परिव्यय :** € 5 मिलियन = ₹ 40 करोड़	इसका उद्देश्य मिट्टी और जल संसाधनों के स्थिरीकरण, वर्धन और संधारणीय उपयोग के माध्यम से चयनित वाटरशेड में लघु पैमाने पर किसानों की जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्यता को कम करना है. यह परियोजना केरल और झारखंड जैसे राज्यों की पूर्ण हो चुकी 55 वाटरशेड परियोजनाओं में कार्यान्वित की जा रही है.

ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन, लचीलापन और जलवायु वित्त (CAFRI) - चरण II **अवधि**: जुलाई 2023 से जून 2026 **परिव्यय**: € 1.5 मिलियन = ₹ 12.15 करोड़	सीएएफआरआई- II कार्यक्रम 01 जुलाई 2023 से 3 साल की अवधि तक चलेगा। कार्यक्रम में निम्नलिखित डिलिवरेबल्स हैं: • जलवायु-लचीली संपत्तियों के साथ एफआई के पोर्टफोलियो को बढ़ाना। 'जलवायु कार्रवाई समर्थन सुविधा' पर नीति समर्थन दिशानिर्देश अनुकूलन/शमन के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यों का समर्थन करने वाले एक एकीकृत दृष्टिकोण को सक्षम करेंगे। • कमजोर समूहों और पारिस्थितिक तंत्रों की जलवायु लचीलापन के वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक/परोपकारी संस्थानों और/या निजी संस्थानों को स्केलिंग-अप समाधानों के लिए जुटाया जाता है। • कृषि के जलवायु लचीलेपन में निजी पूंजी के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नीति-स्तरीय उपाय/ढांचा सक्षम किया गया है।
एशियाई विकास बैंक और नाबार्ड के बीच तकनीकी सहायता **अवधि**: जनवरी 2023 से जून 2024 **परिव्यय**: 0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर	एडीबी कृषि, प्राकृतिक संसाधन और ग्रामीण विकास क्षेत्र (एएनआर क्षेत्र) में हमारे कार्यों का समर्थन करने के लिए नाबार्ड को 0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता (टीए, अनुदान के रूप में) प्रदान कर रहा है। टीए के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र नीचे सूचीबद्ध हैं • पाइपलाइन परियोजनाओं की पहचान और प्रसंस्करण समर्थन। • संस्थागत क्षमता और ज्ञान में वृद्धि। • जलवायु परिवर्तन अनुकूलन वित्तपोषण कार्यक्रम का निर्माण और पायलट-परीक्षण।
नाबार्ड एनआरएम पोर्टफोलियो का कृषि पारिस्थितिकीय परिवर्तन (NAB-SuATI) **अवधि**: जनवरी 2023 से दिसंबर 2027 तक **परिव्यय:** € 3 मिलियन	NAB-SuATI एक परिवर्तन कार्यक्रम है जो वर्षा आधारित और संसाधन-गरीब क्षेत्रों में नाबार्ड के एनआरएम पोर्टफोलियो का कृषि-पारिस्थितिकी अभिविन्यास प्रदान करता है और संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण करता है जिससे स्थिरता, कृषि-पारिस्थितिकी-आधारित व्यवसाय मॉडल और मूल्य श्रृंखला में वृद्धि होती है। नाबार्ड ने एनआरएम पोर्टफोलियो के तहत 2.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर

	किया है। एनआरएम हस्तक्षेपों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, JIVA परियोजनाओं में कृषि-पारिस्थितिकी हस्तक्षेपों की सुपरइम्पोज़िंग परत की आवश्यकता होती है। इसे हासिल करने के लिए NAB-SuATI का समर्थन महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का फोकस इस पर है: • लक्षित समूहों का क्षमता निर्माण • कृषि पारिस्थितिकी के परिदृश्य-आधारित कार्यान्वयन पर ज्ञान उत्पाद और अध्ययन • वाटरशेड और वाडी परियोजनाओं में परिदृश्य-आधारित योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए डिजिटल उपकरण प्रदर्शित किए गए • कृषि पारिस्थितिकी के परिदृश्य-आधारित कार्यान्वयन से वैज्ञानिक साक्ष्य